INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

निगरानी प्र.क्रं. ..../2018

89

SR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/01574

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म.प्र.

1. गोकुलसिंह पिता स्व.श्री होकमसिंह राजपुत,
2. प्रेमसिंह पिता स्व.श्री होकमसिंह राजपुत (मृतक)
3. रामकुंवर पति स्व. श्री होकमसिंह राजपुत,
4. प्रेमकुंवर पिता स्व. श्री होकमसिंह राजपुत,

समस्त निवासीयान ग्राम डेलनपुर तहसील व जिला रतलाम म.प्र. .... प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट)

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... ममता सोनी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 19-02-18
19-2-18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुध्द

1. सूरेकुंवर पति श्री जीवनसिंहजी (पिता स्व.श्री होकमसिंहजी) आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम डेलनपुर, वर्तमान निवास– ग्राम कोलवी मंदिर, पोस्ट पिल्लू तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) ......प्रतिप्रार्थी (अपीलांट)

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय रतलाम ग्रामीण व्दारा प्र.क्रं. 52/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक **05.02.2018** कि जिसके व्दारा प्रतिप्रार्थी–अपीलांट का आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का स्वीकार किया गया है, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है

23/3/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रतिप्रार्थीया ने विव्दान अधिनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष म.प्र.भूराजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत एक अपील न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रतलाम व्दारा नामांतरण पंजी में पारित आदेश क्रमांक 2 दिनांक 18.06.2013 से असंतुष्ट होकर नियत समयावधि उपरांत प्रस्तुत करते हुए अपील के संलग्न एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का इस आशय का पेश किया कि नामांतरण पंजी आदेश क्रमांक 2

X(a)-BR(H)-11

(87)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/1574

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	